आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 5 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 मार्च, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

बुरा न मानो होली है

''गधा पुराण''

अभी हाल ही में गुजरात चुनाव में प्रचार करते हुए अखिलेश यादव ने गुजरात के गधों का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने भी गधों की वफादारी का विस्तार से जिक्र कर इसका जवाब दे दिया तब से देश में गधे को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। गधा पुराण लिखने से पहले मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है जिसे मैं अपने पाठकों के साथ साझा करना चाहता हूं।

''एक कुम्हार के घर के पास एक अन्य घर में एक अध्यापक एक बच्चे को ट्यूशन पर पढ़ाने आता था और अक्सर वह उस बच्चे को पढ़ाई न करने पर डांटते हुए कहता कि मैंने कितने ही गधों को आदमी बना दिया किन्तु तू है कि गधा का गधा ही रहा। यह बात बराबर लगातार सुनते-सुनते पड़ौसी कुम्हार ने सोचा कि उसके कोई औलाद नहीं है तो क्यों नहीं वह भी उस अध्यापक को अपने यहां ट्यूशन पर बुलाकर अपने एक गधे को आदमी बनवा ले। कुम्हार के आग्रह पर मास्टर ने उसका एक गधा अपने साथ ले लिया और कहा कि इसे मेरे को सौंप दो मैं इसे आदमी बनाकर वापिस दे दूंगा किन्तु इसमें कुछ वर्ष लगेंगे। कुम्हार बार-बार मास्टर से अपने गधे से बने बच्चे के बारे में पूछता रहा और वर्षों निकल गये। एक दिन मास्टर ने कुम्हार से कहा कि मैंने तेरे लड़के को काफी पढ़ा-लिखाकर मंत्री बना दिया है और वह अब दिल्ली में है। मास्टर से पता-ठिकाना लेकर कुम्हार अपने मंत्री बेटे से मिलने चला गया जब वह मंत्री के पास जाने लगा तो मंत्री के चौकीदार ने उसे अंदर जाने से रोका तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह मंत्री का पिता है तब उसे जाने दिया गया किन्तु जब वह अंदर गया तो मंत्री उसे अपना बाप मानने को तैयार नहीं हुआ और उस कुम्हार को डांटा-फटकारा किन्तु बात यहां तक नहीं रुकी गुस्से में मंत्री ने अपनी लातों से कुम्हार को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कुम्हार ने जाते-जाते कहा कि बेटा मैंने तेरे को गधे से आदमी बनाया था लेकिन तेरी लात मारने की आदत अभी तक नहीं गई यह कहकर कुम्हार वहां से चला गया।''

आज देश में छाये इस गधा पुराण पर इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया पर भी खूब चर्चा हुई और समय भी काफी दिया गया। बिना किसी कारण के अमिताभ बच्चन बीग बी को भी इसमें घसीट लिया गया जो गधों के विज्ञापन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने गधों को अपने स्वामी के प्रति सर्वाधिक वफादार प्राणी घोषित किया तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात के गधे बनाम यूपी के गधे की बहस छेड़ दी। आश्चर्य देखिए कि अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिह्न ही गधा है।

हमें स्मरण है कि साठ के दशक में प्रख्यात लेखक कृष्णचन्द्र ने गधों पर आधारित दो उपन्यास लिखे थे और दोनों को तब खासी लोकप्रियता हासिल हुई थी। ''एक गधे की आत्मकथा और दूसरी गधे की वापसी'' और दोनों को लाखों लोगों ने पढ़ा। कृष्णचन्द्र के इस गधे ने करोड़ों रुपये कमा कर दिये। इसके अलावा भी गधा पुराण पर कई कृतियां लिखी गई हैं जिनमें हमारे पौराणिक व्याख्यानों में भी गधे भाई चर्चित रहे हैं। वैसे गुजरात के ''छोटे रणक्षेत्र'' में गधों की मौजूदगी ने देहातों की सूरत संवार दी है वहां के गधों को देखने अब दुनियाभर के पर्यटक आने लगे हैं इसी पर्यटन स्थल को लेकर बिग-बी अमिताभ बच्चन का विज्ञापन चर्चा में रहा है और पुष्कर में तो हर वर्ष गधों का विशाल मेला आयोजित होता है। हमारे यहां गधे के बारे में कुछ भी धारणा बनाये किन्तु अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक पार्टी की मान्यता है कि गधा अत्यधिक चुस्त, परिश्रमी और बहादुर होता है। जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सांगानेर के पास ग्राम लुणियावास में हर वर्ष अक्टूबर में गधों का मेला लगता है और यहां बड़ी मात्रा में गधों की खरीद-बिक्री होती है। समूचे उत्तर भारत से हजारों की संख्या में गधे यहां लाये जाते हैं और गधे के खेल भी आयोजित होते हैं। अपने-अपने गधों को लोग रंगारंग परिधानों में सजाकर लाते हैं। गधों की दौड़ विशेष आकर्षण का केन्द्र होती है। अब यहां गधों की देखादेखी ऊंट व घोड़े भी लाये जाने लगे हैं। गधों व ऊंटों की सौन्दर्य प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग इस विशाल ऐतिहासिक मेले का आयोजन करता है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में गधों व ऊंटों को आभूषण भी पहनाये जाते हैं विजेता गधों को नोटों व फूलों के हार भी डाले जाते हैं।

इसके अलावा गधों व अरबों की बात भी हो जाये कुछ पश्चिमी देशों, ईजराईल व कुछ अरब देशों में गधों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब उनके लिए वहां विशेष क्लिनिक बनाये गये हैं, उनके कल्याण, नस्ल सुधार व पौष्टिकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सब बातों के बावजूद हमारे देश में फिलहाल मूर्ख व गंवार के लिए गधे की उपाधि सुरक्षित रखी जाती है। हम यहां गधा पुराण को विश्राम देते हैं।

नेताओं के बोल खोलें उनकी पोल

1. यूपी के लोग भिखारी होते हैं- (राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष)
2. पंजाब के 70 प्रतिशत लोग नशेड़ी होते हैं- (राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष)
3. 90 प्रतिशत बलात्कार तो लड़की की मर्जी से होते हैं- (धर्मवीर गोयल, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता)
4. बीवी पुरानी हो जाये तो मजा नहीं आता- (श्रीप्रकाश जैसवाल, कोयला मंत्री कांग्रेस)
5. महंगाई अच्छी है, ये तो ऐसे ही बढ़ेगी- (पी. चिदम्बरम, कांग्रेस)
6. बलात्कार तो हर जगह होता है- (रेणुका चौधरी, कांग्रेस)
7. सोनिया जी कहेंगी तो झाड़ू भी लगाऊँगा- (भक्त चरणदास, कांग्रेस)
8. पाकिस्तान के हिन्दुओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के सबूत देने होंगे- (सुशील शिंदे, कांग्रेस)
9. मैं सोनिया जी के लिए जान तक दे दूंगा- (सलमान खुर्शीद, कांग्रेस)
10. बोफोर्स की तरह कोयला घोटाला भी जनता भूल जायेगी- (सुशील शिंदे, कांग्रेस)
11. हमारे सैनिकों को पाकिस्तान की सेना ने नहीं बल्कि उनकी वर्दियों में आतंकवादियों ने मारा है- (ए.के. एंटनी, कांग्रेस)
12. पुलिस और सेना के लोग मरने के लिए ही होते हैं- (भीमसिंह, कांग्रेस)
13. पीने के लिए पानी नहीं है तो क्या बाधों में पेशाब कर के ला दूं- (अजी पंवार, कांग्रेस)
14. महंगाई ज्यादा सोना खरीदने की वजह से बढ़ रही है- (पी. चिदम्बरम, कांग्रेस)
15. पुलिस अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को बेवजह परेशान ना करे- (सुशील शिंदे, कांग्रेस)
16. पैसे पेड़ पर नहीं लगते- (मनमोहन सिंह, कांग्रेस)
17. हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिससे महंगाई पर काबू किया जाये- (मनमोहन सिंह, कांग्रेस)
18. गरीबी सिर्फ दिमाग का वहम है- (राहुल गांधी, कांग्रेस)
19. इस देश को हिन्दुओं से ज्यादा खतरा है- (राहुल गांधी, कांग्रेस)
20. बाटला हाउस में आतंकवादियों के मरने पर सोनिया जी बहुत रोयी थी- (सलमान खुर्शीद, कांग्रेस)
21. सत्ता जहर है और मां मेरे कमरे में आकर रात में रोयी थी- (राहुल गांधी, कांग्रेस)
22. देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है- (मनमोहन सिंह, कांग्रेस)
23. भारत को आरएसएस से ज्यादा खतरा है न कि इस्लामिक आतंकवाद से- (दिग्विजय सिंह, कांग्रेस)
24. केवल मुस्लिम लड़की ही हमारी बेटियां हैं- (अखिलेश यादव, सपा)
25. इसरत जहां मेरी बेटी है- (नीतिश कुमार)
26. ओसामा जी- (दिग्विजय सिंह, कांग्रेस)
27. श्री सईद साहब- (सुशील शिंदे, कांग्रेस)
28. राम एक कल्पना है- (कांग्रेस)
29. भगवा और तिलक को देखकर गुस्सा आता है- (मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस)
30. मैं हिन्दू नहीं हूं- (मनीष तिवारी, कांग्रेस)
31. क्या टंच माल है- (दिग्विजय सिंह, कांग्रेस)
32. पांच रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन मिल जाता है, महंगाई कहां है- (राज बब्बर, कांग्रेस)
33. गरीबी एक सोच है, मानसिक बीमारी है- (राहुल गांधी, कांग्रेस)
34. रामायण एक कहानी है, राम कभी पैदा नहीं हुए और राम सेतु राम ने नहीं बनाया- (कांग्रेस)
35. राम एक पियक्कड़ थे- (करुणा निधि, कांग्रेस)
36. जो लोग मंदिर जाते हैं, लड़की छेड़ते हैं- (राहुल गांधी, कांग्रेस)

सम्पादकीय ....

आखिर कश्मीर की समस्या है क्या ?

अभी हाल ही में देश के पूर्व गृहमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम ने हैदराबाद में मंथन संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कश्मीर के बाबत अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि कश्मीर भारत के हाथों से लगभग निकल चुका है क्योंकि केन्द्र सरकार वहां हकीकत को दबाने के लिए बल का बर्बरता से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अगर अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। चिदम्बरम के इस बयान का कश्मीर के कांग्रेस नेता प्रोफेसर सफुद्दीन सोज ने भी समर्थन किया।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने भी चिदम्बरम के बयान का ही समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर में हथियारबंद लड़ाकों की नई पीढ़ी आजादी के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़के मजबूरी में उग्रवाद की राह पर निकल पड़े हैं। वे जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की नई पीढ़ी बेखौफ है और बंदूकों से नहीं डरती। फारुख अब्दुल्ला यहां तक भी नहीं रुके और उन्होंने कहा कि वे अपने हक की मांग के लिए कुर्बानी दे रहे हैं यह उनकी सरजमी है और इसके वे वाजिब मालिक हैं उन्होंने कश्मीरियों के साथ इंसाफ न होने की बात भी कही।

कश्मीर के लोगों की आखिर समस्या क्या है इस पर कोई भी स्पष्ट नहीं बता रहा है कि आखिर समस्या है क्या? जितनी आजादी इस देश में कश्मीर के लोगों को है उतनी आजादी तो शायद देश के अन्य नागरिकों को भी नहीं है। कश्मीर के लोगों की आजादी है कि वह भारत के विरुद्ध नारे लगावें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगावें, पाकिस्तान के झंडे फहरावें, आईआईएस के झंडे फहरावें, पाकिस्तान के आतंकवादियों को शरण दें, सेना पर पत्थर फैंकें और बम फैंकें। इससे बेहद दु:खद कोई बात नहीं हो सकती कि देश की सेना अपने ही देशवासियों से पत्थर खावे, उनकी गोलियों का मुकाबला करे और उनके पाले हुए आतंकवादियों का सामना करते हुए शहादत दे। देश की सेना देश के बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए होती है न कि घरेलु शत्रुओं से, किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी सेना को हो रही क्षति को नजरअंदाज कर रहे हैं।

कश्मीर के लोगों की समस्या थी कि उन्हें गैर मुस्लिमों का वहां रहना बर्दाश्त नहीं था। वहां से उन्होंने लाखों कश्मीरी पंडितों को हत्या, बलात्कार और हमला करके कश्मीर से भगा दिया और कैम्पों में रहने के लिए मजबूर कर दिया इसके अलावा कश्मीर के लोगों को धारा 370 के तहत अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं जिनके तहत वह समस्या दूर हो।

वैज्ञानिक की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक जासूसी कांड से आरोप मुक्त हुए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक की अपील पर मार्च में सुनवाई करने का निश्चय किया। यह वैज्ञानिक केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक सी बी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने इस मामले की जांच की थी।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले का अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अंतिम रूप से निस्तारण किया जायेगा। इससे पहले एक प्रतिवादी के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिये न्यायालय से वक्त देने का अनुरोध किया था।

पीठ ने कहा कि इस मामले को अंतिम निपटारे के लिये अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध कियाजाये। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक 76 वर्षीय नंबी नारायणन ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्व पुलिस महानिदेशक और दो सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक के के जोशुआ और ए विजयन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इन अधिकारियों को सीबीआई ने वैज्ञानिक नारायणन की गैर कानूनी गिरफ्तारी के लिये जिम्मेदार ठहराया था।

नारायणन ने कहा है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ शीर्ष अदालत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के विचारों को समझने में विफल रही है और उसने सतही वजहों से एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने जासूसी प्रकरण से आरोप मुक्त किये गये नारायणन और अन्य को 1998 में एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। बाद में उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया और उसके मानसिक यंत्रणा से गुजरने के आधार पर राज्य सरकार से मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था।

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने और शीर्ष अदालत के 29 अप्रैल, 1998 के फैसले को ध्यान में रखते हुए मार्च 2001 में उन्हें अंतरिम मुआवजे के रूप में दस लाख रुपए देने का निर्देश दिया था।

नारायण ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है कि जब तक सीबीआई के सुझाव के अनुरूप तत्काल कार्रवाई नहीं की जायेगी, पुलिस के हाथों निर्दोष व्यक्ति प्रताड़ित होते रहेंगे।

देश में सालाना हजार लोग बनते हैं धनवान

नई दिल्ली। भारत में दुनिया के कुल करोड़पति लोगों में 2 प्रतिशत और अरबपति में 5 प्रतिशत निवास करते हैं। इसमें आने वाले दशक में सालाना 1,000 नये अति धनाढ्य व्यक्तियों के जुड़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह कही गई है। वाइट फ्रेंट वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल 1.36 करोड़ करोड़पति हैं जिसमें 2 प्रतिशत भारत में रहते हैं। वहीं 2,024 अरबपतियों में 5 प्रतिशत भारत में निवास करते हैं।

वैश्विक स्तर पर संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 के बीच देश में अति धनाढ्य व्यक्तियों (यूएचएनडब्ल्यूआई) में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसमें अगले दशक में डेढ़ गुना (150 प्रतिशत) की वृद्धि की संभावना है। कंपनी 89 देशों के 125 शहरों में अति धनाढ्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि पर नजर रखती है। पिछले दशक में देश में अति धनाढ्य व्यक्तियों की संख्या में 290 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल के सर्वे के अनुसार, अति धनाढ्य व्यक्तियों की संख्या में पिछले वर्ष वृद्धि के मामले में भारत छठे स्थान पर है और अगले दशक में इसके तीसरे स्थान पर पहुंच जाने का अनुमान है।

यह सर्वे दुनिया में प्रभुख निजी बैंकरों और संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाले करीब 900 लोगों की राय के आधार पर तैयार किया गया है। भारत में अति धनाढ्य आबादी के मामले में मुम्बई 1,340 धनाढ्यों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः दिल्ली (680), कोलकाता (280), और हैदराबाद (260) का स्थान है। सिटी वेल्थ इंडेक्स के मामले में मुम्बई 21वें स्थान पर रहा और वह टोरोंटो, वाशिंगटन डीसी और मास्को से आगे है जबकि दिल्ली 35वें स्थान पर है। भविष्य संपत्ति के संदर्भ में दुनिया के 40 शहरों में मुम्बई 11वें स्थान पर है और शिकागो, सिडनी, पेरिस, सोल और दुबई से आगे है।

वायुप्रदूषण से भारत और चीन में होती हैं 52 प्रतिशत मौतें : रिपोर्ट

नई दिल्ली। दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असमय मौतों में 52 प्रतिशत मौतें चीन और भारत में होती हैं। इसका दावा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूक्ष्म कणों के कारण होने वाली मौतों के मामले में भारत लगभग चीन के करीब पहुंच चुका है। इसमें साथ ही कहा गया है कि भारत समेत दस सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों यूरोपीय संघ और बांग्लादेश में पीएम 2.5 का स्तर सबसे अधिक है।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 इस मुद्दे से जुड़ी इस साल की पहली वार्षिक रिपोर्ट है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई) और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में ओजोन के कारण होने वाली मौतों में करीब 60 फीसदी का इजाफा हुआ है। लेकिन भारत में यह आंकड़ा 67 फीसदी तक चला गया है। 2015 में पीएम 2.5 के कारण 42 लाख लोगों की मौत हुई। इन मौतों में से करीब 52 प्रतिशत मौतें भारत और चीन में हुई।

पिछले साल दीवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

एंडरसन की फरारी केस में सुनवाई पर लगी रोक

भोपाल। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डी के पालीवाल की अदालत ने भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को देश से कथित रूप से भगाने में मदद करने के मामले में भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह एवं पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी है।

न्यायाधीश पालीवाल की अदालत ने यह आदेश मोती सिंह एवं स्वराज पुरी की ओर से उनके अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भूभास्कर यादव के फैसले के खिलाफ दायर की गई पुनरीक्षित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई चल रही है और इस पुनरीक्षण याचिका पर फैसला लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। इसलिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में इस मामले में 24 अप्रैल तक सुनवाई नहीं हो सकती है।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार एवं अन्य संगठनों ने एंडरसन को भोपाल से भगाने के मामले में मोती सिंह एवं स्वराज पुरी के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की है। वर्ष 2013 में अमेरिका में एंडरसन की मौत हो गई थी। इन दोनों अधिकारियों के वकीलों ने पालीवाल की अदालत से मांग की थी कि पुनरीक्षण याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई रोकी जाए।

कर्नाटक में दस हजार दलित सरकारी कर्मियों की पदोन्नति वापस ली जायेगी ?

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को खारिज करते हुए अपने आदेश की पालना के लिए कर्नाटक सरकार को तीन माह का समय दिया है

- **कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं, कर्नाटक सरकार के लिए यह चिन्ता का विषय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना होती है तो 2018 के चुनाव में नुकसान होगा।**
- **कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक नई चुनौती बन गया है। पदोन्नति में आरक्षण के चलते अधिकांश दलित कर्मचारी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गये हैं।**

नई दिल्ली। कर्नाटक में लगभग 10 हजार दलित सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति वापस ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सम्बन्ध में एक आदेश जारी कर पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सरकार तैयारियों में जुटी है ताकि 2018 के विधानसभा चुनाव में होने वाले संभावित नुकसान को टाला जा सके।

कांग्रेस की योजना है कि इस मसले पर सभी को लुभाने वाले कोई फॉर्मूला निकाले जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी माह 9 फरवरी को 1978 के बाद से दलित कर्मियों को आरक्षण के आधार पर दिए गए प्रमोशन को खत्म करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने सूबे की सरकार को इस आदेश पर अमल के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। इस अवधि के दौरान कर्नाटक सरकार इस आदेश को चुनौती दे सकती है। सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गले की फांस बन गया है क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण के चलते तमाम दलित कर्मचारी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हैं, ऐसे मं इनका डिमोशन चिन्ता का सबब होगा।

दूसरी तरफ जनरल और ओबीसी श्रेणी से आने वाले कर्मचारियों को बीते कई सालों से बकाया प्रमोशन मिल सकता है।

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, हम बहुत ही जटिल और संवेदनशील स्थिति में हैं। यदि हम दलितों के साथ खड़े होने में असफल रहे तो विपक्षी हमें ऐंटी दलित घोषित कर देंगे। इससे हमारी चुनावी संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। यदि हम उनके पक्ष में अदालत गए तो पिछड़ी और अगड़ी जातियां हम से चुनाव में छिटक सकती हैं। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचंद्र ने कहा कि सरकार इस बारे मं अकाउंटेंट जनरल से राय मांग रही है कि आखिर इस मामले पर क्या करना सही रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके इनपुट के आधार पर ही हम कोई योजना बनाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आरक्षण समर्थक समूह अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। एक सीनियर दलित कर्मचारी ने कहा, हम सरकार के अगले कदम पर बहुत करीबी से नजर रख रहे हैं। यदि सरकार प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो हम उसका विरोध करेंगे।

- अगर तीन बार मुख्यमंत्री बनने और अरबों रुपयों की मालिक बनने के बाद अभी भी मायावती जी दलित हैं तो 66 साल तक आरक्षण का लाभ लेकर भी यह समाज दलित है तो जरूर आरक्षण की वर्तमान प्रणाली में दोष है ?
- सैंकड़ों आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और लाखों श्रेष्ठ उम्मीदवार के अधिकार प्राप्त करने के बाद भी दलित, अब तक दलित हैं।
- कई मंत्री, सैंकड़ों विधायक व सांसद होने के बाद भी अब तक दलित दलित हैं.... तो समस्या मानसिकता में है।
- क्या आपने कभी सोचाकि जिस आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान आजादी के बाद भारत सरकार ने किया था, उस वर्ष यदि किसी 18 वर्ष के व्यक्ति ने यदि आरक्षण का लाभ लिया होगा तो 2017 में उसकी पांचवीं पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेने जा रही है।
- क्या आपको लगता है कि बाबू जगजीवनराम जो कि इंदिरागांधी के काल में केन्द्रीय मंत्री रहे उनके परिवार की मीरा कुमार या किसी अन्य को आरक्षण दिया जाना चाहिए ?
- पी एल पूनिया जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं उनके परिवार के किसी सदस्य को आरक्षण की दरकार है ?
- वर्ष 1902 में शाहू जी महाराज ने अपनी रियासत में पहला आरक्षण का प्रावधान किया था। 1908 एवं 1909 में अंग्रेजी हुकूमत ने मिंटो मार्ले कानून बना कर भारत में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी।
- लेकिन वर्ष 2015 में यानि की 106 साल बाद भी अगर समस्या का निदान नहीं हो पाया है तो जरूर सिस्टम में कोई कमी है।
- 1950 से ही पब्लिक रिप्रजेंटेशन एक्ट के द्वारा हर पांच साल में आरक्षित वर्ग से लगभग 131 सांसद लोकसभा में पहुंचते हैं, क्या आपको लगता है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कोई गरीब चुनाव लड़ सकता है ?
- बसपा जो कि आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती है एक एक विधायक से टिकट आवंटन के लिए मीडिया में छपी खबरों के अनुसार करोड़ों रुपये लेती है, क्या इन लोगों को वाकई आरक्षण की जरूरत है ?
- सरकारें नि:शुल्क किताबें बांट रही है, सरकारी विद्यालयों में फीस न के बराबर है, इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई में वजीफे बांटे जा रहे हैं और इन सबके बाद आरक्षण और फिर पदोन्नति के लिए आरक्षण पर आरक्षण।
- हर कदम पर सरकारें समाज में विद्वेष पैदा करके इसे विभक्त किये जा रही हैं।
- क्या सरकारें जितना पैसा इन साधनों पर खर्च कर रही है, उसमें यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क करके अनिवार्य कर दे। विशेषकर उनके लिए जो वर्तमान में आरक्षित वर्ग के हैं और जिसके परिवार ने अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तथा उनके लिए उत्कृष्ट किस्म की कोचिंग खोल दे या वर्तमान कोचिंग चलाने वालों को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सब्सिडी दे दे।
- नि:शुल्क पढ़ाई और कोचिंग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को दी जाये।
- क्या यह समाधान नहीं हो सकता ? तत्पश्चात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भी नि:शुल्क कर दे और अंत में योग्यता के आधार पर चयन करे तो कहीं से बहुत बोझ नहीं बढ़ेगा और जातिवाद को बढ़ावा भी नहीं मिलेगा।
- परन्तु समाज में फैला हुआ यह विद्वेष का जहर कहीं तो रुकेगा।
- समाज, वर्ग और जाति इस आधार पर देश बंट रहा है और देश का विकास बाधित हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन ? सरकार या कोई और ?
- आरक्षण के कारण जनरल कैटेगरी पर सभी समूह से दबाव बढ़ता जा रहा है।
- सरकार की आरक्षण नीति के कारण देश में जनरल केटेगरी ने भी आंदोलन शुरू कर दिये हैं, जो आगे चलकर दलित और मुसलमान के बाद यह वर्ग का वोट बैंक की कीमत बढ़ जायेगी।
- अगर सरकार इसी तरह आरक्षण पर आरक्षण बढ़ाती रही तो 21वीं सदी का भारत तीन वर्गों में बंटा मिलेगा।
- हजारों वर्षों की गुलामी के बाद देश एक बना किन्तु इस आरक्षण ने लोगों में विष भर दिया। कमजोरों को आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए।

आरक्षण का विष वृक्ष

जयपुर। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिये संघर्ष कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, कायस्थ, पंजाबी सहित सवर्ण जातियों की बैठक सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यालय में हुई। जिसमें सामूहिक रूप से कहा कि आरक्षण का अधिकार लेकर रहेंगे।

सर्व ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर आरक्षण से वंचित जातियों के प्रमुख प्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक हुई जिसमें सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सवर्ण समाज के आरक्षण के लिये सरकार सिर्फ टालमटोल कर रही है और पिछले 15 वर्षों के इस लम्बे संघर्ष के बाद भी इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं आ रहा है। इस अवसर पर सरकार के टालमटोल के रवैये पर सभी वक्ताओं ने कहा कि अब हमें आर-पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि सरकार शांतिपूर्ण चलाये जा रहे इस आंदोलन को हलके में ले रही है।

इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि पिछले दिनों सरकार के मंत्रियों ने जो वार्ता की थी उसमें कहा था कि 120 दिन में इसका फैसला हो जायेगा परन्तु अब तक इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं आया है।

राजपूत सभा के अध्यक्ष गिर्राज सिंह लोटवाड़ा ने कहा कि अब तक हम सब अलग-अलग आंदोलन चला रहे थे लेकिन अब आरक्षण से वंचित जातियों के सामूहिक आंदोलन से इस आंदोलन का एक विराट रूप दिखेगा।

गृह मंत्रालय ने आई.पी.एस. अफसर गर्ग को झिड़की पिलाई

गर्ग ने फेसबुक पर से अपनी टिप्पणी तुरन्त हटाई

नई दिल्ली। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येन्द्र गर्ग (54), जो गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्र के प्रभारी हैं, ने चुपचाप अपने उस फेसबक पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया था कि जिन दो कश्मीरी युवाओं को शहर की एक अदालत ने आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया था, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पिछले 11 वर्षों से जेल में बंद रखा था।

अपने निजी विचारों को एक पब्लिक प्लेटफार्म पर रखना, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, के कारण गृह सचिव राजीव महर्षि ने गर्ग को क्या झिड़की दी यह बताने के लिए वे उपलब्ध नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही जनता उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रही है, जिन्होंने उन युवकों को गिरफ्तार किया था तथा इस वजह से उनका जीवन तबाह हो गया था।

महर्षि कथित तौर पर इसलिए क्रोधित हुए, चूंकि गर्ग मंत्रालय के ही एक अधिकारी हैं और वे मंत्रालय की बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस प्रत्यक्षत: गृह मंत्रालय अधीन ही कार्य करता है।

सन् 2005 में पूर्व दिल्ली में हुए बमकाण्ड, जिसमें 67 लोग मारे गए थे, के आरोप में मोहम्मद एफीक तथा मोहम्मद हुसैन फजली को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसी वर्ष 16 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने यह कहते हुए उन्हें बरी कर दिया था कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत झूठे और बनावटी हैं।

अपने फेसबुक पोस्ट में, गर्ग जो राजस्थान में जन्मे केन्द्र शासित प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ने कहा था कि हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पर आश्चर्य होता है, जहां निर्दोषों को 11 वर्षों तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।

यह पहली घटना नहीं है जब किसी नौकरशाह की खिंचाई की गई है। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर नौकरशाहों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त नियम यह है कि उन्हें नीतिगत मामलों तथा आंतरिक मुद्दों पर विपरीत विचार व्यक्त करने की छूट नहीं है। ऐसा समझा जा रहा है कि गृह सचिव ने नौकरशाहों पर नियंत्रण रखने वाले धार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से कहा है कि वह ऐसे सेवा नियम बनाए जिसके तहत नौकरशाहों के सोशल मीडिया पर विवादास्पद बयान पोस्ट करने पर रोक लगाई जाए। सेवा नियमों में प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के नियम में क्या सही है और क्या गलत है इसका उल्लेख तो पहले से है, लेकिन सोशल मीडिया के विषय पर सेवा नियमों में कुछ भी छूट नहीं है।

डी.ओ.पी.टी. के एक अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर सेवा नियमों में कोई जानकारी न होने के बावजूद नौकरशाह अपनी सीमाओं को भली-भांति जानते हैं तथा गर्ग को उन्हें लांघना नहीं चाहिए था।

गत वर्ष छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी शिव अनन्त तायल का इस बात के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में जनसंघ विचारक दीन दयाल उपाध्याय के योगदान पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अन्य आईएएस अधिकारी, एलेक्स पॉल मेनन का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में न्याय प्रणाली पर अंगुली उठाई थी। एक अन्य भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में गत वर्ष एक आईएएस अधिकारी अजय गंगवार को भी सिर्फ इसलिए तलाड़ पिलाई गई थी क्योंकि उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की तारीफ कर दी थी।

जेलों में कैदियों पर हो रहे खर्च की सी.ए.जी. से जांच करवायें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरा आश्चर्य किया है कि अनेक राज्यों में जो राशि कैदियों पर खर्च की जाती है वह बहुत विसंगतिपूर्ण है साथ ही कोर्ट ने कॉम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल (सीएजी) को इस तथ्य की जांच के लिए कहा है कि क्या जो धन कैदियों के लिए दिया जाता है क्या उसका समुचित उपयोग होता है।

न्यायाधीश मदन बी लोकूर की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की बैंच ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह जल्दी से जल्दी सीएजी की मदद से जेल के खातों की ऑडिट कराये और यदि संभव हो तो इस कार्य को 31 मार्च तक पूरा कर ले। बैंच सम्पूर्ण देश की जेलों में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सन् 2013 से सुनवाई कर रही है।

बैंच को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बिहार की जेलों में वर्ष 2015-16 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत 83,691 रु. खर्च किया गया जबकि राजस्थान में यही खर्च प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 3000 रु. था। इसी प्रकार, नागालैंड में यह व्यय 54,468 रुपये मात्र किया गया।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में घोर विसंगतियां हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। इस मामले में यह पता लगाने के लिए हिसाब-किताब की ऑडिट किया जाना जरूरी है कि क्या इनके लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया है और क्या इसका इस्तेमाल इन कैदियों के हित में किया गया है अथवा नहीं।

कोर्ट को यह बताने के बाद कि देश की जेलों में 31 दिसम्बर 2014 को 79,988 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 52,666 जेल कर्मचारी कार्यरत थे, कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे जेलों में बड़ी मात्रा में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करे। जेलों में इतने रिक्त पदों का मतलब है कि 2014 के अन्त में लगभग एक-तिहाई पद खाली पड़े हुए थे। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यह असंभाव्य है। साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय को जेल में तैनात विभिन्न श्रेणी के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए नियम तैयार करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इसलिये दिये कि, राज्यों द्वारा कैदियों पर किये जा रहे खर्चों में भारी अंतर है। उदाहरण के लिये, बिहार में वर्ष भर में प्रति कैदी रु. 83,691 खर्च होता है, पर राजस्थान में केवल तीन हजार रुपये। इसी प्रकार नागालैण्ड में प्रति कैदी रु. 54,468 खर्च बताया जाता है, जबकि पंजाब में केवल 16,669 रुपये है।

खरी-खरी

लोकतंत्र का मालिक मतदाता : भ्रम या यथार्थ

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail : manchandkhandela.@gmail.com

यह सिद्ध सत्य है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उपलब्ध में सबसे श्रेष्ठतर व्यवस्था है। क्योंकि इसमें लोग मिल कर स्वेच्छापूर्वक तथा स्वतंत्र वातावरण में अपने लिये सरकार चुनते हैं। इस निर्वाचन का मूलाधार 'एक व्यक्ति, एक वोट' का होता है। इसमें अमीरी-गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित, साक्षर-निरक्षर, वृद्ध-जवान, संभ्रान्त-सामान्य के साथ ही नीति, धर्म, सम्प्रदाय, विचार आदि के आधार पर कोई भेद नहीं होता है। इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो बहुमत प्राप्त कर पाता है, उसे निर्धारित अवधि के लिए सरकार चलाने का संपूर्ण अधिकार संविधान की सीमाओं में मिल जाता है। निर्वाचित सरकार का परम लक्ष्य ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करना होता है जिससे 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण' के लक्ष्य को त्वरित गति से प्राप्त किया जा सके। ऐसा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग ऐसे किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति की क्षमता, के अनुसार उससे लिया जा सके और उसकी जरूरत के अनुसार दिया जा सके। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय शैक्षणिक तथा आर्थिक संदर्भ में कहा जाये तो आमजन का जीवनस्तर के साथ ही जीवन का स्तर (स्टेण्डर्ड ऑफ लाइफ) ऊंचा करते रहना अंतिम लक्ष्य होना चहिए।

यह लोकतंत्र का शुद्ध सैद्धान्तिक पहलु है। ऐसा व्यवहार में होने लगे तो 'धरती पर स्वर्ग' उतारने के दिव्य स्वप्न को पूरा किया जा सकता है। पर दुर्भाग्य से सरकार के सर्वाधिक ताकतवर, सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र याने अमेरिका एवं भारत के साथ ही सर्वाधिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र-स्विट्जरलैंड, सर्वाधिक तार्किक फ्रांस, सर्वाधिक दीवविधि एवं स्थापित ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे सामान्य लोकतंत्रों में से किसी में भी ऐसा होता नहीं है। प्राय: हर देश में निर्वाचन का उपयोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिये किया जाता है। फिर मतदाता से किये वादों को पूरी या अधूरी तौर पर भुला दिया जाता है। लोकतंत्र की यह सीमा है कि मतदान के बाद एक निर्धारित समयावधि में मतदाता याने आमजन वादा नहीं निभाने वालों के विरुद्ध चाह कर भी कुछ सार्थक नहीं कर पाता है। भारत देश महान में तो ऐसा बहुत अधिक, खुलेआम और निन्दनीय स्तर तक होता है। फिर भी 'देश बदल रहा है' का नारा पूरे जोश से चलाया जाता है।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि यहां एक तरफ प्रत्याशी बनाने का अधिकार देने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता की शर्तें राज्य सरकारें लगा देती हैं। जबकि संसद शून्य को नहीं पहचानने वापस बन सकता है बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी ऐसा निरक्षर बन सकता है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में प्रत्याशी की योग्यता न्यूनतम आठवीं और दसवीं कक्षा की रखी हुई है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 40 प्रतिशत विद्यार्थी दूसरी कक्षा के स्तर की हिन्दी एवं गणित का ध्यानपूर्वक ज्ञान नहीं रखते हैं। इससे भी बड़ी त्रासदी तो यह है कि जिन राजनीतिज्ञों की अकर्मण्यता संवेदनहीनता एवं भ्रष्ट हरकतों के कारण ऐसी दयनीय स्थितियां हैं वे ही साक्षरता एवं शिक्षा की योग्यता की अनिवार्यता के बंधन लोकतंत्र के विकास के नाम पर लगा रहे हैं। वैसे तो यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन लोकतंत्र के मूलाधार 'जो मतदाता है वह प्रत्याशी हो सकता है'। जो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है, संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, देश के आधे से अधिक लोगों को अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने से वंचित कर देने का मामला है, वंचित व असहाय को पूरी तरह दबा देने का प्रश्न है उस पर वह सर्वोच्च न्यायालय कैसे एवं क्यों निर्णय कर सकती है जिसका स्वयं का मानना है कि देश के कम से कम बीस प्रतिशत जज भ्रष्ट हैं। इतना ही क्यों स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के 6 मुख्य न्यायाधीश रह चुके लोगों को शपथ पत्र देकर भ्रष्ट बताया जाता है और भीरुता दिखाते हुए ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो मामला न्यायालयों में होता है उसे जब चाहे जब तक अनिर्णित रखा जा सकता है। जिसकी आड़में अपने हितों, स्वार्थों एवं मंशाओं को थोपा जा सकता है। जिसकी आड़ में अपने हितों, स्वार्थों एवं मंशाओं को थोपा जा सकता है। इस कटु यथार्थ को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

कहते हैं शेर के एक बार मानव का खून मुंह लग जाता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भविष्य में ऐसा नियम निर्धारित वार्षिक आय वाला मतदाता ही प्रत्याशी बन सकता है। लोकतंत्र के नाम पर सत्ता पिपासु कुछ भी कुतर्क दे सकते हैं और कल्पना को वास्तविकता दर्शा सकते हैं। इस संदर्भ में उनकी नजरें व्यभिचारियों, बलात्कारियों, मिलावटियों, हत्यारों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, तस्करों आदि पर नहीं जाती है। अगर शैक्षणिक योग्यता ही योग्यता की पहली शर्त है तो क्यों कहा जाता है कि पिछले सत्तरसाल में कुछ नहीं हुआ? लोकतंत्र की खूबसूरती तो यह ही है कि इसमें हर एक को समान रूप से फलने-फूलने, बढ़ने का मौका होता है। सारे निर्णय जनता द्वारा किये जाते हैं। जो लोग शैक्षणिक योग्यता रखते हुए भी चुनावों में कैसे-कैसे छल कपट, दिखावा, आडम्बर, धूर्तता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कदाचार किया जाता है वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता का अर्थ क्या रह जाता है?

भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा छलावा मतदाता के साथ दायर चुनाव घोषणा-पत्रों के माध्यम से खुलेआम और बार-बार करते हैं। जबकि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव घोषणा-पत्र में मतदाता के साथ जो वादे, प्रतिबद्धताएं किये और आश्वासन दिये जाते हैं उनका स्पष्ट आधार होना जरूरी है। स्पष्ट है वादों को निर्धारित समय में पूरा करने के वित्तीय संसाधनों, प्रक्रिया और योजनाओं का व्यवहारिक प्रावधान बताना जरूरी है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव के दौरान धर्म, जाति, समुदाय आदि का उपयोग नहीं करने का आदेश है। साथ ही चुनाव में खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि की भी व्याख्या कानूनी रूप से की गई है। फिर भी यह बस थोथी सैद्धान्तिकता है। व्यवहार में मतदाता को बेवकूफ बनाने के सारे अनैतिक, अनियमित एवं गैर कानूनी काम किये जाते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि निर्वाचन आयोग निर्देश देकर एक तरह से सो जाता है। उसने हाल ही के चुनावों में किसी भी राज्य में किसी भी दल से उसके घोषणा पत्र की फिजिबिलिटी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। जबकि प्राय: सभी दल अवास्तविकता पर आधारित वादे मतदाताओं से करके उन्हें भ्रमित करके उनका मत 'साम, दाम, दण्ड, भेद' की तर्ज पर प्राप्त करने का भरपूर प्रयास खुलेआम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में प्राय: हर दल किसानों के कर्जे माफ करने, गरीबों को बहुत कुछ नि:शुल्क देने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधार देने का दावा कर रहा है। जिसके लिए वहां के वर्तमान बजट से कई गुणा राशि की जरूरत है। यह कैसे आयेगी इस पर सब दल मौन हैं। दुर्भाग्य से निर्वाचन आयोग ने भी मौन साधे रखा था। यह लोकतंत्र में सार्वभौमिक सत्ता रखने वाले मतदाता का 'चीर हरण' करना ही है।

चुनावों में रैलियों, सभाओं, झंडों, बैनरों, टीवी व रेडियो तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन, वाहनों, खान-पीन आदि पर निर्धारित राशि से कई गुणा ज्यादा खर्च करके मतदाता को बरगलाने, डराने, धमकाने, लालच देने, सोच के विपरीत मतदान करने को एक तरह से मजबूर किया गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों पर राजकोष का अरबों रुपया खर्च किया गया। जो हर तरह से आमजन याने मतदाता का ही है। सरकारों की अकर्मण्यता के कारण निर्वाचन आयोग के माध्यम से शांतिपूर्ण चुनाव तो करदाता याने आमजन का ही तो होता है जिसके सम्बन्ध में कोई संस्था एवं न्यायपालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह मतदाता की सीधी खिल्ली उड़ाना ही है।

एक तरफ मतदान को अनिवार्य करने की बातें की जा रही हैं जबकि नारों के आधार पर निर्वाचन निरस्त नहीं किये जा रहे हैं। दागी प्रत्याशी अधिक से अधिक मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सभी संबंधित उल्लंघन हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग मोनिटरिंग, मैनेजमेंट त्वरित कार्यवाही में लगातार असफल हो रहा है, वह अपने दांत दिखा तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता है। गैर बलि, गैर धनी, गैर सम्पर्की का चुनाव में खड़ा होना बेमतलब हो गया है। राजनैतिक दल जिसका संविधान में कहीं किसी भी संदर्भ में नाम तक नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में 'दादा' जैसा व्यवहार प्रत्याशी चयन में कर रहे हैं। मतदाताओं को गलत सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य, संदर्भ, समीक्षा, चुनाव पूर्व व बाद के फर्जी सर्वेक्षण, धर्माडम्बरियों के आह्वान देकर या कहें परोस कर खुलेआम लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं एवं सुस्थापित दृढ़ परम्पराओं, कानूनों, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिर भी कहीं किसी पर त्वरित यथानुसार कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। एक सामान्य सा नियम है कि जिसे चयन का अधिकार होता है, उसे अपने चयन को निरस्त करने का भी अधिकार होता है। जिसे तकनिकी भाषा में रिकाल कहते हैं। यह क्या आश्चर्य है कि एक बार निर्वाचित हो जाने के बाद संदर्भित क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदाता चाह कर भी उसे वापस नहीं बुला सकते हैं। जबकि स्पष्ट बहुमत के आधार पर विजयी होने वाले प्रत्याशी तो अपवाद स्वरूप ही कोई होता है। बल्कि ऐसे निर्वाचन के बाद तो उसे विशेष दर्जे और वीआईपी की आड़ में अधिक गुनाह करने का 'अधिकार' मिल जाता है। किसी अनियमितता को लेकर निर्वाचित के विरुद्ध न्यायपालिका का सहारा लेने की पाक कोशिश पवित्र मतदाता करता है तो 'विलम्बित न्याय, न्याय नहीं होता' की तर्ज पर कोर्ट सरेआम मामले को विलम्बित कर 'अन्याय' करता है। यह 'मी लार्ड' द्वारा लाटसाहब जैसा व्यवहार ही है। लार्ड बने लोगों का इस समाधान की बर्बादी का कोई अनुमान ही नहीं होता जो पांच साल की अवधि के बाद अनियमितता के आरोप वाला मामला लटका रहता है।

जब निर्वाचन आयोग निर्देश देने, न्यायपालिका आदेश सुनाने, सरकारें आह्वान करने, प्रशासन हर अनियमितता को देखते रहने और दल दल में फंसते जाने के अलावा कुछ करे तो मतदाता के पास हर बार ठगे जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है? विकल्प केवल हर स्तर पर बेबाक, बेखौफ, सीधी सटीक, तर्कपूर्ण, सामाजिक, संदर्भित, वस्तुनिष्ठ टिप्पणी करने, ऐसे लोगों द्वारा संगठित हो जाने, न्याय प्राप्ति के हर विकल्प को आजमाने, चुनाव की अवधि में निराश, हताशा, भ्रम की स्थिति को छोड़ने, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का ही है क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा, उसके उन्नयन, प्रभावपूर्णता, निरन्तरता, सम्पूर्णता में ही देश, देशवासियों, राजनीतिकों आदि सबका हित है। इस व्यवस्था की असफलता हम सबको निराशा, आक्रोश, विद्वेष, अराजकता, कदाचार, अनाचार में जकड़ सकती है। ऐसा न हो इसके लिए सरकारों, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग आदि स्तम्भों को अपने दायित्वों को पूरा अधिकारों का उपयोग, नियमों-कानूनों की स्थापना करने के साथ ही मतदाता का मतदान के पहले और बाद में भी लोकतंत्र में सार्वभौमिक अधिकार वाले व्यक्ति का सा व्यवहार करते रहने की जरूरत है।

सात दशक बाद गांधी जी की हत्या की पुनः जांच

सूचना आयुक्त ने इस जांच के आदेश दिये हैं

नई दिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या के लगभग सात दशक बाद, एक नई जांच के आदेश दिये गये हैं ताकि 1948 के इस हत्या के मुकदमे में फरार बताये गये तीन आरोपियों की नियति का पता लग सके।

यह आदेश केन्द्रीय सूचना आयोग, जो भारत का पारदर्शिता-नियामक (ट्रांसपेरेंसी रेग्यूलेटर) है, ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त हुए एक प्रार्थना पत्र को लेकर दिया है। आरटीआई के तहत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उस रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाये जिसमें, दिल्ली पुलिस के इन तीनों को पकड़ने के प्रयास तथा उन्हें गिरफ्तार न करने के कारणों का विवरण समाहित है।

प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस तथा इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया), जो कि वर्गीकृत दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है, को दिये गये निर्देश में, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने गंगाधर दण्डवते, गंगाधर जाधव तथा सूर्यदेव शर्मा नामक तीनों फरार आरोपियों, विशेषकर उन्हें खोज निकालने के लिये किये गये प्रयासों, की जानकारी देने के लिए कहा है।

ये तीनों व्यक्ति, हत्या के इस मुकदमे के 12 आरोपियों, जिनमें नाथूराम गोडसे तथा वी डी सावरकर शामिल हैं, में थे तथा इनमें से 9 आरोपियों को या तो सजा दी गई थी या रिहा कर दिया गया था। ये तीन आरोपी फरार घोषित कर दिये गये थे तथा इनसे सम्बन्धित जानकारियां रहस्य बन कर रह गई। ये तीनों उस योजना में शामिल थे जिसके जरिये नाथूराम गोडसे को वह बेरेटा पिस्तौल मिली थी जिसे हत्या के काम में लिया गया था।

सीएलसी ने यह भी चाहा है कि महात्मा गांधी से संबंधित सरकारी दस्तावेजों को उसी तरह से गुप्त सूची से उतारा जाये (डीक्लासिफिकेशन), जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्बन्धित 100 गोपनीय फाइलों को डीक्लासिफाई फाइलों को प्रकाश में लाने का निर्णय लिया था।

इसे राष्ट्रीय महापुरुषों के इतिहास में पारदर्शिता लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए, सीएलसी ने कहा कि इसी प्रकार से, प्रधानमंत्री के लिये यह जरूरी है कि वे गांधी से संबंधित दस्तावेजों को देखें तथा अगर आवश्यक हो तो उन्हें उजागर करें। महात्मा गांधी के प्रपोत्र तुषार अरुण गांधी इस बात को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है कि नई जांच से कोई नई चीज सामने आयेगी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, संभवतः इन तीनों में से कोई भी इस समय जीवित नहीं होगा। किन्तु उन्होंने एक विचित्र घटना की याद दिलाई कि जिस पंजाब उच्च न्यायालय ने सजाओं का अनुमोदन किया था, उसके एक दिन बाद, ग्वालियर में यह घोषणा की गई थी कि तीनों फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिये गये हैं किन्तु इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब उनकी जरूरत नहीं है तथा उन्हें छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन तीनों के विरुद्ध आगे कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं हुई।

तुषार गांधी ने इस बात का स्वागत किया है कि उसने जो एल कपूर आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में पीएमओ को निर्देश दिये हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग की रिपोर्ट वास्तव में विस्फोटक है तथा इससे काफी कुछ सामने आयेगा। निर्देश में पीएमओ से कहा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या, जांच-पड़ताल, मुकदमे की सुनवाई, सजा, सरकारी पत्राचार तथा जे एल कपूर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित रिकॉर्ड के अभिलेखों का निर्माण करे।

न्यायमूर्ति जीवन लाल कपूर जांच आयोग की 1969 की रिपोर्ट के पूरे मूल-पाठ को गृह मंत्रालय ने 1970 में जारी किया था तथा यह राष्ट्र पिता की हत्या का अंतिम सरकारी विवरण है।

अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के 'सुसाइड नोट' पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई का आधार है अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने आत्महत्या की थी, की पत्नी का सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया पत्र

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कालिखो पुल (47) के सुसाइड नोट पर उनकी विधवा पत्नी द्वारा चीफ जस्टिस जगदीश सिंह होर को लिखे गए एक पत्र को क्रिमिनल रिट पिटीशन मान लिया या है, जिसमें पुल की विधवा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तथा इसे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल तथा उदय उमेश ललित की बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

खेहर ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को पहले ही निर्देश दे दिया है कि वह उनके पति की आत्महत्या की जांच शुरू करने के लिए उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे। गुरुवार को सीजेआई के समक्ष उपस्थित होने के लिए सीजेआई ऑफिस से भी पुल की पत्नी को बुलावा भेजा गया है। उन्हें यह निर्देश दिया जा सकता है कि अगर ये याचिका के रूप में स्वीकृत अपने दो पेज के पत्र में कुछ और जोड़ना चाहती है तो उन्हें बैंच के समक्ष उपस्थित होना होगा।

दांगविमसई पुल ने सीजेआई को पत्र तब लिखा जब ईटानगर पुलिस ने उनके पति की रहस्यमय ढंग से आत्महत्या की जांच कराने के लिए एफआईआर लिखने से मना कर दिया था।

मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के चार हफ्तों बाद ही उन्होंने 9 अगस्त को अपने घर पर ही फांसी लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि पुल साढ़े चार माह तक ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि संवैधानिक बैंच ने राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और राज्य में नवम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया था।

सीजेआई स्वर्गीय पुल के संवैधानिक बैंच पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से अवश्य ही विचलित हुए होंगे, चूंकि उस बैंच का नेतृत्व उन्होंने ही किया था तथा इस बैंच के चार अन्य जज जस्टिस दीपक मिश्रा, मदन लोकुर, पी सी घोष तथा एन वी रमाना, में से कोई भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। ऐसे में सुसाइड नोट को आधार मानकर होने वाली कोई भी जांच पदासीन जजों पर लगे आरोपों के लिए की जाने वाली जांच के समान ही होगी।

स्वर्गीय मुख्यमंत्री के बेटे ओजिंगशु पुल ने कहा कि उनकी मां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) से मामले की जांच कराये जाने की मांग करेंगी, जबकि उन्होंने अपने पत्र में सीबीआई जांच की मांग की थी। 17 फरवरी को स्वर्गीय मुख्यमंत्री के परिवार ने, दांगविमसई द्वारा सीजेआई को लिखा गया वह पत्र सार्वजनिक किया था जिसमें कहा गया था कि उनके पति ने सुसाइड नोट में राज्य सरकार के साथ-साथ न्याय प्रणाली पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसमें पांच जजों की बैंच में से चार जजों को शामिल किया था जिन्होंने राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया था जिससे पुल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।

उनके परिवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में पुल द्वारा लिखा गया 60 पृष्ठीय सुसाइड नोट जारी किया जिसका शीर्षक था मेरे विचार, जिसमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं। दांगविमसई ने कहा कि मेरे पति ने हमारे लिए एक सुसाइड नोट मेरे विचार पीछे छोड़ा है, जिसमें उन्होंने आज की गंदी राजनीति, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, का खुलासा करने की चेष्टा की है। हमारे परिवार ने इस दुःख से बाहर निकलने का प्रयास किया है, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि यहां का सिस्टम मेरे पति की मौत से जुड़े तथ्यों तथा परिस्थितियों को उजागर करने में उदासीनता बरत रहा है।

उन्होंने कहा यह नोट अधिकारियों ने जब्त कर लिया था लेकिन उन्होंने उन तथ्यों की जांच करने की कभी कोई शिकायत नहीं की, जिनका उल्लेख मेरे स्वर्गीय पति ने इस नोट में किया था। उन्होंने यह दलील दी कि नोट में लगाये गए विभिन्न आरोप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आते हैं तथा इसलिए इन आरोपों की जांच हेतु एफआईआर अवश्य दर्ज होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी।

कांग्रेस के मुख्यमंत्री नबम तुकी को अपदस्थ करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू होने के बड़े नाटक के बाद, स्वर्गीय पुल गत वर्ष 19 फरवरी को मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वे 29 विधायकों (कांग्रेस के 19 तथा भाजपा के 11) के साथ एक स्थानीय पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए थे तथा उन्होंने सरकार का गठन किया था।

पांच माह बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने तुकी सरकार को पुनः बहाल कर दिया था। एक अन्य नाटक में, एक सौदा हुआ जिसके तहत तुकी ने इस्तीफा दे दिया, तथा पुल अपने समर्थकों के साथ पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने पेमा खाण्डू को मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। पुल ने अपने साथ हुए इस विश्वासघात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया बल्कि यह तो केवल उनके सुसाइड नोट के माध्यम से ही सार्वजनिक हो पाया है।

अगर वोट नहीं डालते तो सरकार पर तोहमत क्यों मढ़ रहे : कोर्ट

अतिक्रमण हटाने की याचिका पर अदालत ने वादी को लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। अगर आप वोट नहीं देते तो आपको किसी काम के लिए सरकार पर तोहमत मढ़ने का अधिकार भी नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वादी से कही है। वादी ने देशभर के अतिक्रमणों को हटाए जाने के लिए आदेश देने की मांग की थी। यह भी बताया कि सरकारी व्यवस्था से क्षुब्ध होकर वह चुनाव में वोट नहीं डालता है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस पीठ में जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। याचिका की सुनवाई करते हुए पीठ ने देश भर के अतिक्रमणों को हटाए जाने का कोई आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि दिल्ली में बैठकर यह कैसे जाना जा सकता है कि किस शहर में कहां पर अतिक्रमण है। इसलिए याचिकाकर्ता सड़कों के किनारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमणों को देखकर उन्हें हटाए जाने की मांग वाली याचिका संबंधित हाई कोर्ट में दायर करे तथा उनसे आदेश पारित करने की मांग करे। सामाजिक कार्यकर्ता धनेश ईशधन ने दिल्ली की गैर सरकारी संस्था वॉयस ऑफ इंडिया की तरफ से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ नहीं करती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश में लागू होने वाला आदेश जारी करके केन्द्र व राज्य सरकारों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहे।

सुनवाई के दौरान पीठ ने धनेश से पूछा कि चुनाव में वह मतदान करता है या नहीं। जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा, उसने अपने जीवन में कभी वोट नहीं डाला। इस पीठ ने उसे आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब तुमने सरकार को चुनने के लिए वोट ही नहीं डाला, तो तुम्हें सरकार से सवाल पूछने या उस पर काम न करने की तोहमत मढ़ने का क्या अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास ऐसा अधिकार नहीं है कि हम पूरे देश में अतिक्रमण हटाने का एकतरफा आदेश दे दें। अगर आप अपनी मांग को लेकर हाई कोर्ट नहीं जाते तो मान लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मकसद केवल प्रचार पाना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह की याचिका और इस पर दिए आदेश से काई मकसद पूरा नहीं हो सकता। इससे पहले 26 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह राम राज्य की मान्यताओं को स्थापित करने का आदेश देने में सक्षम नहीं है। वह अपनी भूमिका को सीमाओं के भीतर मानती है।

किराएदार से बोले सीजेआई, आप अदालतों और व्यवस्था को कर रहे हैं बर्बाद

49 साल से था कब्जा, 5 लाख जुर्माना लगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक किरायेदार पर पांच लाख रुपए की कॉस्ट (जुर्माना) लगाया, जो विभिन्न अदालतों में लगातार मुकदमे करके 49 वर्षों से रिहायशी परिसर पर काबिज था। चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस संजय किशन कौल ने इस किराएदार को 7 मार्च तक परिसर खाली करने का आदेश दिया। मामला मुम्बई का है।

कॉस्ट लगाने के आदेश के तुरन्त बाद किराएदार के रूप में काबिज दयानदो साबाजी नाइक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहन की दया याचिका लगाई, लेकिन सीजेआई ने सख्त लहजे में बोल दिया आप दया के योग्य नहीं। आपको दंडित किया जाना जरूरी है, नहीं तो याचिका लगाने वाले इस अदालत के निर्देश को समझ नहीं पाएंगे। चीफ जस्टिस ने नाइक से सख्त लहजे में कहा कि 1984 से केस को खींच रहे हैं, जबकि मुम्बई की रेट कंट्रोल कोर्ट ने 1984 में ही परिसर को खाली करने का आदेश दे दिया था। जस्टिस खेहर बोले कि आप (किराएदार) अदालतों और न्यायिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। आप 1968 से परिसर से काबिज हैं। फिर आप इसे खाली नहीं करना चाहते।

वकील को फटकारा

जस्टिस खेहर ने अधिवक्ता वी मोहन से पूछा आपने यह नाइक का मामला लिया ही क्यों, जब उन्होंनें बाम्बे हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वह परिसर को खाली कर देगा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। जब हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी तो वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के साथ पहुंच गए।

न्यायिक सेवा के गठन पर सरकार ने विधि अधिकारियों से राय मांगी

नई दिल्ली। सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर अपने दो शीर्ष विधि अधिकारियों से राय मांगी है। यह मुद्दा राज्यों और न्यायपालिका के बीच मतभेद की वजह से 1960 के दशक के समय से ही अधर में लटका है। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्याता में हाल में हुई एक बैठक में आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार से राय मांगने का फैसला किया गया।

दोनों अधिकारियों ने विधि मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ 16 जनवरी की बैठक में हिस्सा लिया था। उस बैठक में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर चर्चा हुई थी। नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में निचली न्यायपालिका के लिए अलग काडर के लिए नई सेवा के गठन हेतु लम्बे समय से लम्बित प्रस्ताव को नये सिरे से आगे बढ़ाया है। हालांकि, इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों की अलग-अलग राय है। जिन समस्याओं का हवाला दिया जाता है उनमें से एक है कि चूंकि कई राज्यों ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय अदालतों में आदेश लिखने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने की घोषणा की है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सुनवाई करना मुश्किल हो सकता है। विरोध का एक और बिन्दु है कि अखिल भारतीय सेवा राज्य न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के कैरियर में प्रगति को बाधित कर सकती है। अखिल भारतीय सिविल सेवा की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा का गठन करने की केन्द्र की योजना का विधि आयोग, कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थाई समिति ने इस विचार का समर्थन किया है। मई 2006 में रखी गई अपनी 15वीं रिपोर्ट में स्थायी समिति ने जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के लिए विधि मंत्रालय से उठाए जाने वाले कदमों में तेजी लाने को कहा था। इस मुद्दे पर पहली बार 1960 में चर्चा की गई थी लेकिन मतभेदों की वजह से योजना को अमल में नहीं लाया जा सका।

अदालतें न्यायिक संयम का परिचय दें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते की अनुमति देते समय अदालतों को न्यायिक संयम का परिचय देना चाहिए, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसा करना निषिद्ध है। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि उनकी यह सुविचारित राय है कि सरकार के दूसरे अंग के अधिकार पर अतिक्रमण करना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन होगा जो हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे में एक है।

न्यायालय ने यह टिप्पणी इस संदर्भ में की कि क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय सहित अदालतों को पक्षकारों को इस तरह के आपराधिक मामलों में समझौते की अनुमति दी जा सकती है जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता में सूचीबद्ध अपराधों में रखा गया है और उन्हें जिनमें संबांति पक्षकार परस्पर मिला नहीं सकते हैं। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अपील खरिज करते हुए यह टिप्पणियां की। उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बैंक द्वारा एक फर्म और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराए गए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी।

बैंक के विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया था परन्तु बाद में आरोपितों के साथ इस विवाद में समझौता कर लिया था जिसके बाद आपराधिक मामला बंद करने का अदालत से अनुरोध किया था।

निचली अदालत ने इस संबंध में दायर अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 और 468 के तहत दर्ज मामले को मिलाया नहीं जा सकता है। आरोपियों ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने जून 2001 को सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्रवाई निरस्त कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जजों की नियुक्ति पर 'समझौता' प्रस्ताव भेजा सरकार को

प्रस्ताव के अनुसार, सरकार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के कारण, जज का नाम वापस भेज सकेगी कोलेजियम को

नई दिल्ली। जजों की नियुक्तियों में हो रही देरी पर पिछले 17 महीने से चले आ रहे विवाद को खत्म करने के प्रयास में समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक समझौता फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसमें केन्द्र की इच्छा को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी जज की नियुक्ति को बीच में ही रोके जाने का प्रावधान है।

यद्यपि, किसी भी जज की नियुक्ति में अंतिम निर्णायक अधिकार कोलेजियम के पास ही रहेंगे न कि सरकार के पास। केन्द्र की केवल यह मांग थी कि उसे कोलेजियम की ऐसी किसी भी सिफारिश पर वीटो पावर के इस्तेमाल की छूट दे दी जाए, अगर वह यह समझता है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है।

कोलेजियम द्वारा स्वीकृत नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) सरकार को इस बात की छूट देता है कि वह चयनित सूची में उल्लेखित किसी भी नाम को पुनर्विचार के लिए कोलेजियम के पास भेज सकता है, अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मानदंड को पूरा नहीं करता है तो। लेकिन सरकार की आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद कोलेजियम उस नाम की पुन: पुष्टि कर सकता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता में आयोजित कोलेजियम की बैठक में जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई तथा मदन बी लाकूर ने भाग लिया। जस्टिस जे चेलामेश्वर बैठक में उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने तब तक कोलेजियम की बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है जब तक इसमें कुछ पारदर्शिता मानदण्ड नहीं अपनाए जाते। सूत्रों ने कहा, संशोधित एमओपी जस्टिस चेलामेश्वर को भेजा गया था, तथा ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस पर अपनी कोई आपत्ति नहीं जताई है।

सूत्रों ने कहा कि कोलेजियम सरकार को जल्द ही यह लिखेगा कि वह नामित जजों की जांच पड़ताल करने तथा उनके स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिए स्वतंत्र सचिवालय बनाए जाने की अपनी दूसरी मांग पर विचार त्याग दे। क्योंकि कोलेजियम का यह मानना है कि इस मामले में बेहतर गोपनीयता उन पांच जजों के निजी स्टाफ वाले वर्तमान तंत्र के अंतर्गत ही बरती जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये पांचों जज संयुक्त रूप से कोलेजियम का गठन करते हैं।

उन्होंने कहा कि कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होते हैं तथा वे निश्चय ही ऐसे किसी भी नाम की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अगर सरकार ऐसे ठोस सबूत देती है, जिसके कारण इस जज को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तत्कालीन चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाले पूर्ववर्ती कोलेजियम ने मोदी सरकार की इन दो मांगों का विरोध किया था कि सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कोलेजियम द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार पर वीटो इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए, साथ ही जजों की नियुक्तियों तथा स्थानांतरण संबंधी कार्यों के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय बनाया जाना चाहिए।

जस्टिस ठाकुर ने सरकार के सुझावों पर संज्ञान लेते हुए दलील दी थी कि न्यायपालिका राष्ट्र विरोधियों को जजों के रूप में नियुक्त करने के बारे में कभी नहीं सोचेगी तथा जजों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन से कोलेजियम की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी।

विभिन्न कोर्ट केसों के कारण 1998 में एमओपी बनाई गई थी, जब कोलेजियम तथा सरकार ने पारस्परिक रूप से नियमों की स्वीकार्यता के आधार पर प्रोसीजर का निर्धारण कर लिया था।

अक्टूबर 2015 में एक संवैधानिक बैंच ने नेशनल जूडिशियल अपाइंटमेंट्स कमीशन (एनजेएसी) को रद्द करते हुए, सरकार से मेमोरेंडम का प्रारूप पुन: तैयार करने को कहा ताकि कोलेजियम के संचालन में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

अगर केन्द्र कोलेजियम द्वारा बनाए गए नए मेमोरेंडम पर अपनी मंजूरी दे देता है तो विभिन्न हाईकोर्ट में करीब 500 से ज्यादा जजों की नियुक्तियों पर बना गतिरोध समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये हाई कोर्ट स्वीकृत पदों की कुल संख्या की आधी संख्या पर ही काम कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने 13 फरवरी को एक सुनवाई के दौरान, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने के सम्बन्ध में हरियाणा के एक वकील की याचिका को खारिज करते हुए, इस बात के संकेत भी दे दिए थे कि हम एक माह के भीतर एमओपी पर अंतिम निर्णय ले लेंगे।

किसानों की मौत पर मुआवजा देना समस्या का हल नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्याओं पर चिन्ता जताते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। किसान की मौत के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा दे देना समस्या का हल नहीं है। इसके बदले ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है। समस्या से निपटने के लिए सरकार गलत दिशा में भटक रही है। अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। शीर्ष अदालत ने सरकार से इस बाबत ठोस योजना तैयार कर पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया है। पीठ ने कहा कि किसान बैंक से कर्ज लेते हैं और नहीं चुका पाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। समस्या का हल यह नहीं है कि किसान के मरने पर उसके परिवार को पैसा दे दिया जाए। सरकार को इसे रोकने के लिए आत्महत्या की परिस्थितियों को खत्म करना होगा। इसके लिए ठोस नीति बनानी होगी।

केन्द्र सरकार की दलील : केन्द्र सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए एडीशनल सॉलिसिटर जनरल पी नरसिम्हन ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें 2015 में शुरू की गई फसल बीमा योजना भी है। इन योजनाओं से आत्महत्या की घटनाओं में बहुत कमी आई है। उन्होंने हालांकि कोर्ट के सामने माना कि अन्य योजनाओं को भी प्रभावी बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि गन्ने के किसानों से कहा जाता है कि गन्ना उगाएं। किसान मिल में गन्ना बेचते हैं। कभी उन्हें पूरा पैसा मिलता है और कभी नहीं मिलता। कभी-कभी तो फसल की कीमत ही बहुत कम लगाई जाती है। किसानों की फसल की एक निश्चित कीमत तय होनी चाहिए।

फार्म IV

देखिये नियम 8

समाचार पत्र का नाम न्यायिक ज्वाला

1	प्रकाशन का स्थान	जयपुर
2	प्रकाशन अवधि	पाक्षिक
3	मुद्रक का नाम	श्रीगोपाल शर्मा
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
4	प्रकाशक का नाम	श्रीगोपाल शर्मा
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
5	सम्पादक का नाम	सुधीर शर्मा
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
6	नाम व पता उन व्यक्तियों का जो समाचार पत्र का स्वामित्व रखते हैं और उनका जो कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के अंशधारी या साझेदार हैं।	श्रीगोपाल शर्मा भारतीय एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

मैं श्रीगोपाल शर्मा एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई विशिष्टियां मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास से सत्य है।

दिनांक 10 मार्च, 2017

श्रीगोपाल शर्मा

प्रकाशक के हस्ताक्षर

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

आजीवन : रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क : रू. 100/-
मासिक : रू. 10/-
एक प्रति : रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल

न्यायिक ज्वाला

1. श्री जे.पी. बंसल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2. श्री दामोदर मिश्रा — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3. श्री वी.के. अग्रवाल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4. श्री डॉ.पी.एन. रछोया — सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5. डा. मोहिनी शर्मा — एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6. श्री रामदयाल खंडेलवाल — संस्थानिक प्रतिनिधि
7. श्री विष्णुकांत शर्मा — एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**